Year-9-10; 2018-19
ISSN–2231-1130

Impact Factor – 3.521(IIJIF)
●●●VEETHIKA●●●

बालश्रम की अवधारणा एवं इसके कारण

प्रो० उषा मिश्रा*

मोनिका राघव**

बालश्रम को परम्परागत रूप से उन 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के कार्य करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आर्थिक रूप से सक्रिय हैं। वे व्यक्ति जो नियमित रूप से कार्य करते हैं व इसके लिए भुगतान पाते हैं वे आर्थिक रूप से सक्रिय कहे जाते हैं (बुररा, 2005)। जो कार्य बालकों को उनके बचपन, क्षमताओं और सम्मान से वंचित करते हैं व उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी हानिकारक हैं, वे बालश्रम के रूप में परिभाषित किये जाते हैं (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1997)।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1992, में बाल श्रमिकों पर अपनी रिपोर्ट में बाल श्रमिकों को अन्य तरह परिभाषित करते हुए लिखा कि ये वे किशोर नहीं हैं जो दिन के कुछ घण्टे और पढ़ाई से समय निकालकर जेब खर्च के लिए कार्य करते हैं। ये वे बच्चे भी नहीं है जो पारिवारिक भूमि पर कृषि कार्य में सहायता करते है या घरेलू कामों में सहायता करते हैं। बल्कि ये वो मासूम बच्चे हैं, जो 10–18 घण्टे काम करके, कम पैसे पर अधिक श्रम बेचकर बुनियादी शिक्षा और खेल से वंचित रहते हुए भी कभी–कभी परिवारों से अलग होकर रहते हुए व्यस्कों की भांति जिन्दगी बिताने को मजबूर हैं।

बालश्रम की परिभाषा के संबंध विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान श्रम कार्य की प्रकृति और संभावित दुष्प्रभाव के आधार पर इसे दो भागों, बाल श्रम और बाल कार्य में बांटते हैं। जहां बाल श्रम को बुराई माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चे को अपनी शारीरिक क्षमताओं से परे कार्य करने की आवश्यकता होती है नियोजन के घंटे, उसकी शिक्षा, मनोरंजन और आराम के साथ हस्तक्षेप करते हैं, मजदूरी किए गए कार्य की मात्रा के अनुरूप नहीं होती है तथा वह व्यवसाय जिनमें वह लगा है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालता है, अर्थात् जब उसका शोषण किया जाता है। इसके विपरीत बाल कार्य में हल्के–फुल्के वे कार्य आते है जो बच्चों के विकास में बाधक न हों साथ ही वे अपनी शिक्षा भी जारी रख सकें। कुछ लोग इस वर्गीकरण को सिर से नकारते हुए कहते हैं कि कार्य की प्रकृति चाहें कैसी भी हो वह बालक से विकास में बाधक है और उसके प्राकृतिक स्थल विद्यालय व खेल के मैदान से उसे वंचित करती है। वहीं जो विद्वान इस वर्गीकरण के पक्ष में हैं वे ये तर्क देते हैं कि बाल कार्य, बच्चों में सामाजीकरण, अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण का माध्यम है। लिटन (2002) के अनुसार वे लोग जो इस विचार के प्रचार में लगे हैं कि 'बाल श्रम' और 'बाल कार्य' के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिए साथ ही वे बच्चे जो विद्यालय से बाहर हैं, उन्हें या तो बाल श्रमिक या संभावित बाल श्रमिक वर्ग में बांटा जाना चाहिए। वे सभी अस्पष्ट सोच के दोषी हैं और बाल श्रमिकों की स्थिति का अतिशियोक्ति के साथ वर्णन करते हैं, यह भारत को बाल श्रम शिविर के रूप में चित्रित करने जैसा है।

भारत जहां, कार्य बल का एक प्रमुख अनुपात अभी भी कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों में नियोजित हैं। बच्चे प्रायः किसी फार्म घर के आवश्यक हिस्से के रूप में कार्य करते हैं अथवा सहायक कामों में माता–पिता की सहायता करते हैं। देश के इस दिए गए सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में 'बाल श्रम' और 'बाल कार्य' के मध्य स्पष्ट अन्तर किये जाने की आवश्यकता है। या तो फार्म में अथवा परिवार केन्द्रित सेवा प्रतिष्ठानों में तथा घरेलू कारीगरी में किसी हल्के और उचित रूप से संरचित कार्य जो उन्हें अवकाश, खेलने तथा शिक्षा के लिए पर्याप्त समय अनुमत करता है, में शामिल बच्चे बाल श्रमिक नहीं हैं बल्कि 'बाल कार्य' कर रहे हैं। 'बाल कार्य' जो कि 'बालश्रम' से भिन्न है, समाजीकरण की अधिक प्रकृति का है तथा कौशलों को ग्रहण करने में सक्षम बनाता है जो बाद में उनके लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरी और 'बालश्रम' ऐसा काम है जो किसी बच्चे के समग्र शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को अवरूद्ध करता है (लिटन, 2002)।

गुरूदास समिति (1979) ने अपनी रिपोर्ट में यह माना कि भारत में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबन्ध सम्भव नहीं है अतः कुछ निश्चित व्यवसायों और प्रक्रियाओं में ही बाल श्रम को प्रतिबन्धित किया जा सका है। गुरूदास समिति की रिपोर्ट पर ही बालश्रम प्रतिबन्धन और विनियमन अधिनियम, 1986 में बाल श्रमिकों के अन्तर्गत उन बच्चों को रखा गया है जो उन व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं व अधिनियम में सूचीबद्ध हैं।

बालश्रम के कारण –

बालश्रम एक जटिल सामाजिक समस्या है जिसके मूल में अनेक कारण हैं। शिक्षा के अधिकार तहत नामांकन की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है प्राथमिक स्तर पर 97 प्रतिशत नामांकन है परन्तु विद्यालयों में

*पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद वि0वि0

**शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद वि0वि0

नियमित उपस्थिति अभी भी चिन्ता का विषय है। नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित न होने का कारण अभी भी उनका श्रम कार्यों में संलग्न होना है। कई छोटी औद्योगिक इकाईयां भारत में बाल श्रमिकों पर अल्याधिक निर्भर हैं (राव, 1996)। इन औद्योगिक इकाईयों के कार्य करना ही बच्चों का विद्यालय में अनुपस्थिति का अकेला कारण नहीं है। गरीबी, बालश्रम का बड़ा कारक है। विभिन्न आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल श्रम धनात्मक रूप से गरीबी से संबंधित है (सगनो, 2001; कानन, 2001: रामचन्द्रन और मास्सुन, 2002; गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2000; वासु और वेन, 1998; इकबाल, 2009)। परिवार की कम आय बच्चों पर श्रम बाजार में आने का दबाव डालती है (पाटिल, 1988)। परम्परागत रूप से गरीबी को परिवार के सदस्यों में साक्षरता की कमी निम्न मजदूरी/तनख्वाह, अप्रशिक्षित कार्य और बालकों का श्रम के लिए उपलब्ध होने से संबंधित करके देखा जाता है (लिटेन, 2002)। ननगिया (1987) ने अपने अध्ययन में पाया कि 63.74 प्रतिशत बाल श्रमिक, अपने कार्य करने का कारण गरीबी को ही ठहराते हैं।

भारत की जनसंख्या परिवार में सदस्यों की संख्या का ज्यादा होना और जन्म दर बालश्रम के अन्य बड़े कारक हैं (पीक, 1978; डायसन, 1991; आई.ए ल.ओ. 1996, लोयड, 1994; को चेरन, 1990)। कुलश्रेष्ठ (1978) ने बालश्रम पर परिवार के आकार के प्रभाव को आनुभाविक रूप से प्रेक्षित किया । डायसन (1991) ने इस संबंध में कहा कि 'लोगों के पास बच्चे हैं इसलिए बच्चे काम नहीं करते बल्कि बच्चे काम करते हैं इसलिये लोगों के पास बच्चे हैं।' प्रमाण यह संकेत करते हैं कि जिन बच्चों के भाई–बहनों की संख्या अधिक है वह औसत रूप से अधिक घण्टे काम करते हैं, विशेषतः जब वह अपने परिवार में बड़े हो (कानवर्गी और कुलकणी, 1984; लोयड, 1993; जूमो, 1992)।

वृहद परिवार आकार और श्रम उपलब्धता के बीच संबंध के साक्ष्य पाये गये हैं। विकासशील देशों में यह देखा गया है कि परिवार का बड़ा आकार, बच्चे की शैक्षिक प्रतिभागिता और विद्यालय में प्रगति को कम करता है साथ ही अभिभावकों के द्वारा बच्चों की शिक्षा पर किये गए निवेश में भी कमी लाता है (कानवर्गी और कुलकर्णी, 1984; लोयड, 1994)। निसन्देह परिवार में बच्चों की संख्या बाल श्रम उपलब्धता को निर्धारित करता हैं और चूंकि प्रजनन व्यवहार बाल श्रमिकों की उपलब्धता का महत्वपूर्ण निर्धारक है (ग्रूटअर्ट और कानबुर, 1994)। यह भी पाया गया है कि भाई बहनों की संख्या, बालश्रम पर सार्थक प्रभाव डालती है (पेट्रीनोस एवं पसेचेरा पोलस, 1993)।

केवल भाई बहनों की संख्या ही नहीं बल्कि जन्मक्रम भी बच्चों के श्रम कार्यों से जुड़ने का एक कारण है। फिलीपींस में एक विस्तृत आर्थिक अध्ययन में पाया गया कि बाजार और घरेलू कार्यों में परिवार के आकार और बालश्रम के बीच संबंध समान नहीं है तथा लिंग व जन्मक्रम पर निर्भर करता है (डीग्राफ एवं अन्य 1993)। प्रजननता का प्रभाव बाल श्रम के संबंध में प्रथम संतान पर अधिक दिखाई पड़ता है (डीग्राफ एवं अन्य, 1993; लोयड, 1993)।

लिंग भी बालश्रम का एक निर्धारक है। अधिकांश यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा लड़का या या लड़की। विभिन्न प्रकार के श्रम कार्यों से जुड़ना भी इस बात पर निर्भर करता है। श्रीनिवास (1993) ने अपने अध्ययन में पाया कि बड़े परिवार की लड़किया वंचित थी परन्तु लड़के नहीं थे। भारत में तमिलनाडु के शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार, शिक्षा देने में लिंग के आधार पर भेदभाव करते थे। कुछ बच्चे, मुख्यतः लड़कों को गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा मिली, लड़कियों को घरों में ही रूकना पड़ता था जिनकी मातायें श्रम कार्यों में संलग्न थी (बासू, 1993)। ऐसा पाकिस्तान में भी, परिवार में बच्चों की संख्या पांच होना, लड़कियों की शैक्षिक प्रतिभागिता को सार्थक रूप से कम कर देता है परन्तु लड़कों के संदर्भ में ऐसा नहीं है (कोचरेन, 1990)। विशेषतः औसत रूप से लड़कियों को अधिक घण्टे कार्य करना पड़ता है अगर उनके कई भाई बहन हैं तो और जिम्मेदारी बढ़ती है जैसे–जैसे वह बड़ी होती हैं (लोयड, 1993; जूमो, 1992)। सांस्कृतिक प्रथायें लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालती हैं और बाल रोजगार को प्रेरित करती हैं (वाइनर, 1991)। अधिकांशतः लड़के बाजार संबंधी कार्य में संलग्न होते हैं और लड़कियां घरेलू या खेती के कार्यों में (लोयड, 1993)।

निरक्षरता देश के लिए बड़ी समस्या है। बहुत से प्रयासों के बाद, अभी भी हर सौ व्यक्तियों पर पच्चीस व्यक्ति निरक्षर हैं। वी0वी0 गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (2000) के अनुसार – साक्षरता, बालश्रम से सहसंबंधित है। यह संकेत मिलता है कि साक्षरता और बालश्रम के बीच विपरीत सहसंबंध है। इसके अलावा, आनुभाविक रूप से बालश्रम और विद्यालय में समर्पित घण्टों में नकारात्मक संबंध पाया गया (रिवेरा–बतिज, 1985)। कुल मिलाकर शिक्षा पद्धति की परिस्थितियां भी बालश्रम की उपलब्धता की महत्वपूर्ण कारक हैं। अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का न होना और निरक्षरता, बालश्रम के मुख्य कारण हैं (कुलश्रेष्ठ, 1978; वाइनर, 1991; भट्टी, 1998)।

विद्यालयी शिक्षा, बच्चों को श्रम बाजार से दूर रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। विद्यालयी शिक्षा पर किये जाने वाले प्रत्यक्ष खर्च जैसे –किताबें, लेखन

सामग्री, ड्रेस आदि बहुत से परिवारों के लिए वहन करने योग्य नहीं हैं (सिन्हा एवं सिन्हा, 1995; भट्टी, 1998)। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कम नामांकन बाल रोजगार की दर को बढ़ा देता है (कानवर्गी एवं कुलकर्णी, 1984; आई. एल. ओ., 1992) अन्य अध्ययन में पाया गया कि विद्यालय छोड़ने वाले केवल 20 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे थे जो कार्य हेतु भुगतान पाते थे (सीधारामु और देवी, 1985)। इसका मतलब बचे 80 प्रतिशत बच्चे ऐसे कार्यों में संलग्न थे जिनके लिए उन्हें भुगतान नहीं मिलता था। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि या तो वे घरेलु कार्य, कृषि कार्य तथा छोटे भाई–बहनों की देखभाल में संलग्न थे या केवल विद्यालय ही छोड़ा था। विद्यालय संबंधी समस्यायें भी बच्चों को छोटी उम्र में श्रम कार्यों में संलग्न होने के लिए मंच प्रदान करती हैं। शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता बच्चों के विद्यालय छोड़ने, नामांकन न कराने और श्रम कार्य हेतु दबाव बनाती हैं। (इकबाल, 2009)।

भारत में सर्वाधिक नाबालिग श्रमिक होने का एक बड़ा कारण यह है कि 8.2 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं (वाइनर, 1991)। बहुत बार बच्चे बस रोजगार खोजते हैं क्योंकि वहां विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं (या तो उनके घर से बहुत दूर हैं या है ही नहीं)। जहां शिक्षा उपलब्ध है, शिक्षा के निम्न स्तर के कारण विद्यालय में उपस्थिति को छात्र अपना समय बर्बाद करना समझते हैं। इसलिए बच्चे और उनके अभिभावक विद्यालयी शिक्षा के महत्व को नहीं मानते। बहुत से प्रगतिशील क्षेत्रों में विद्यालयमें विभिन्न समस्यायें जैसे – अत्याधिक भीड़, अपर्याप्त सफाई व्यवस्था और उदासीन अध्यापक हैं। परिणामस्वरूप, अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते जबकि बच्चे घर पर रहते हैं (लड़कियां घरेलू कार्यों हेतु व लड़के कृषि संबंधी कार्य हेतु) और कौशल सीखते हैं वह परिवार की आय में वृद्धि करते हैं। वॉनेट (1993) ने अध्ययन में पाया कि शिक्षा पद्धति की असफलता, बालश्रम का प्रत्यक्ष कारण है।

अभिभावकों की शिक्षा का निम्न स्तर भी बालश्रम के निर्धारण में अपना योगदान देता है (आई.एल. ओ, 1992)। क्योंकि अभिभावकों का अपने बच्चों पर अत्याधिक नियंत्रण होता है और ये भारत के संदर्भ में और ज्यादा हो जाता हैं। विद्यालय के मूल्य के प्रति उनकी अवधारणा, विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति का मुख्य निर्धारक है। जो अभिभावक पढ़े लिखे होते हैं वे विद्यालय के महत्व को समझते हैं। उसी रूप में, अभिभावकों की शिक्षा बच्चों के विद्यालयी शिक्षा और रोजगार के निर्धारण में सार्थक भूमिका निभाती है (देवी, 1979; कानवर्गी एवं कुलकर्णी 1984)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक स्वतंत्र अध्ययन (2008) के आंकलन में पाया गया कि 6–10 वर्ष आयुवर्ग के 3.7 प्रतिशत बच्चे और 11–13 वर्ष आयुवर्ग के 5.2 प्रतिशत बच्चे, विद्यालय से बाहर हैं। लगभग 80 लाख बच्चे 6–13 वर्ष आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर हैं, जिसमें 67 लाख ग्रामीण और 13 लाख शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं (ए. एस.ई.आर, 2009)।

बच्चों पर प्रायः उनके अभिभावकों द्वारा कार्य करने के लिए दबाव बनाया जाता है। रोजगार हेतु प्रेरक स्त्रोत का 62 प्रतिशत अभिभावकों द्वारा ही प्रतिनिधित्व किया जाता है, केवल 8 प्रतिशत बच्चों ने कार्य करने का निर्णय स्वयं लिया (सैयद, 1991)। विकासशील देशों में, अभिभावक बच्चों के कार्य करने की योग्यता का प्रयोग करते हैं, साक्ष्य बताते हैं कि अभिभावक, बच्चों को लागत–लाभ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं (सिंह एवं सचुह, 1986)। बच्चे, परिवार की आय में सार्थक योगदान देते हैं। विकासशील देशों में, भारत के समान ही, गरीब परिवारों में बच्चों का मतलब प्रायः अधिक कमाई से है।

अभिभावकों का किसी विशेष कार्य में लगे होना, बच्चों को भी उसी कार्य में लगने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रायः बच्चे और उनके अभिभावक एक ही व्यवसाय में कार्य करते है (जूमो, 1992) अभिभावकों के कार्य की प्रकृति भी मायने रखती है अगर अभिभावक अनियमित रोजगार में हैं, तो यह अतिरिक्त या अधिक स्थाई आय स्त्रोत की आवश्यकता को जन्म देती है और यह बच्चों द्वारा जुटाई जाती है। परिवार के लिए रोजी–रोटी कमाने वाले प्रौढ़ का बेरोजगार होना मुख्य कारण है परिवार के छोटे सदस्यों के काम करने का (कुलश्रेष्ठ, 1978; पाटिल, 1988)। पुरूष सदस्यों का बेरोजार होना, बच्चों पर छोटी आयु में कार्य करने का दबाव बनाता है। पुरूषों में बेरोजगारी, साथ ही प्रवास या पलायन में वृद्धि और पुरूषों में नशाखोरी, बच्चों और महिलाओं को श्रमबल बनने को मजबूर करते हैं (विश्व बैंक, 1991)। यह भी देखा गया है कि घरेलू कार्य करने वाली महिला जब खुद काम पर नहीं जाती तो अपनी जगह अपनी बच्ची को भेज देती है।

जाति भी बालश्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल श्रमिकों की उपलब्धता उस समुदाय के गुणों/विशेषताओं द्वारा भी निर्धारित होती हैं जिसमें परिवार सदस्य रहते हैं, विशेषतः सामाजिक संरचना पर (डिग्राफ एवं अन्य, 1993)। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1992) के अनुसार भारत में 80 प्रतिशत बच्चे कृषि व कृषि संबंधी व्यवसायों में कार्यरत हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि 86 प्रतिशत बन्धुवा मजदूर, भारत में कृषि क्षेत्र में पाये जाते हैं। इनमें अधिकतर बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं। ननगिया (1987) ने यह पाया कि अगर भारत में पाये गये बाल श्रमिकों की संख्या की देश में मौजूद अनुसूचित जाति से तुलना की

जाए तो यह पाया गया कि अनुसूचित जाति के बच्चे तुलनात्मक रूप से उच्च अनुपात में कार्यों में संलग्न हैं। परिवार की गरीबी के कारण अनुसूचित जाति के बच्चों पर श्रम करने हेतु दबाव होता है। भारत, जहां जाति एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवारों के सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक आर्थिक स्तर का, यह बच्चों के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्य करने का भी निर्धारक है (पीक, 1978; देवी, 1979; पाटिल, 1988)।

अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष रूप में पाया गया कि ऋणग्रस्तता एक महत्वपूर्ण कारक है। ऋणग्रस्तता, गरीबी से सहसंबंधित कारक है और बहुत से अध्ययनों में पाया गया कि यह बालश्रम का भी कारक हैं (लिटन, 2002)। श्रम और ऋणग्रस्तता में जबर्दस्त सकारात्मक सहसम्बन्ध पाया गया (देव एवं स्त्री 2002)। पारिवारिक आय की वृद्धि हेतु अभिभावक अपने बच्चों को कार्य करने भेजते हैं। क्योंकि कमाने वालों की संख्या अधिक होना भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देती है। ग्रामीण भारत से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा यह निश्चित होता है कि बाल श्रम गरीबी परिवारों के स्वबीमा हेतु सार्थक उपाय है। यह देखा गया है कि जब परिवार की आय में परिवर्तनशीलता बढ़ती है तो बच्चों की विद्यालयमें उपस्थिति घटती है (ग्रूटएट एवं कानबुर, 1994)।

सरकारी नीतियों का बालश्रम के आपतन पर गहन प्रभाव पड़ता है। यहां राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकारी नीतियों द्वारा बहुत से कारकों को प्रभावित किया जा सकता है जो बाल श्रमिकों के परिवार से संबंधित है। इन कारकों में विशेष रूप से सामाजिक व्यय का स्तर, सामाजिक ढांचा, सामाजिक स्तरीकरण, यहां तक की सम्पूर्ण आर्थिक विकास आते हैं। जहां आर्थिक विकास निम्न है और गरीबी व असमानता समाज को विशेषता हो वहां बालश्रम का आपतन अधिक होता है (यूनीसेफ, 1986)।

विभिन्न अध्ययनों में पाये गये अन्य मुख्य कारण–किसी भी कारण अभिभावकों द्वारा अवहेलना, जागरूकता की कमी, मंहगी विद्यालयी शिक्षा परिवार हेतु भत्ते की योजना न होना, अभिभावकों की बेरोजगारी, परिवार के पुरूष सदस्यों की बेरोजगारी, उच्च निर्भरता अनुपात, कार्य सहभागिता अनुपात, पोषण संबंधी गरीबी और घर में मवेशियों की संख्या, शैक्षिक आकांक्षा का निम्न स्तर हैं (कुलश्रेष्ठ, 1978; वर्ड बैंक, 1991; यूनेस्को, 2001; लिटन, 2002; कानन 2001; मेहता, 2015)।

सन्दर्भ सूची

1. भट्टी, के0 (1998) ए जूकेशनल डिप्राइवेशन इन इंडिया ए सर्वे ऑफ फील्ड इंवेस्टीगेशन, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिक वीकली, 33(27), 1731–40.
2. वॉनेट, के0 (1993), चाइल्ड लेबर इन अफ्रीका, इंटरनेशनल लेबर रिब्यू, 132(2), 371–389
3. सिगनो, ए0 एवं फुरिओ, सी0आर0 (2001), चाइल्ड लेबर, एजुकेशन फर्टीलिटी एण्ड सर्वाइवल इन रूरल इंडिया, पेपर ईरेवॉक कॉनफेरेन्स ऑन चाइल्ड लेबर इन साउथ एशिया, 15–17 अक्टूबर, जे.एन.यू. न्यू देहली
4. कॉचरेन, एस0, कॉजेल, वी0 एवं ए लडरमेन, एच0 (1990), हाउसहोल्ड कॉनसीक्यूए ंसेज ऑफ हाई फर्टीलिटी इन पाकिस्तान, वर्ड बैंक डिस्कशन नं0 111 वाशिंगटन, डी0सी0
5. डीग्राफ, डी0ए स0, बिल्सबोरो, आर0ई0 एवं हेररीन, ए0एन0 (1993) द इंप्लीकेशनस ऑफ हाई फर्टीलिटी फॉर चिल्ड्रेनस टाइम यूज इन द फिलीपिंस, लिया गया है लॉयड, सी0बी0 (ए जु0), फर्टीलिटी, फेमिली साइज एण्ड स्ट्रक्चर – कॉनसीक्यूए ंसेज फॉर फेमिली एण्ड चिल्ड्रेन प्रोसीडिंग ऑफ ए पॉयुलेशन काउंसिल सेमिनार, न्यूयार्क 9–10 जून 1992 द फाफलेशन काउंसिल, न्यूयार्क।
6. देव, एम0एस0 एवं रवी, सी0 (2002), 'फूड सिक्योरिटी एण्ड चाइल्ड वर्क इन साउथ इंडियाः डिटार्मेनेंट एण्ड पॉलिसिज : लिया गया है। रामचन्द्रन, एन0 एण्ड मासुन, एल0 (एजु0) कमिंग टू ग्रिपस विद रूरल चाइल्ड वर्क, ए फूड सिक्योरिटी एप्रोच (192–215) न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डिवलपमेन्ट।
7. देवी, एस0 (1979), चाइल्ड वर्कर्स इन हरियाणा, सोशल वेलफेयर, खण्ड–26, नं0 7, अक्टूबर, 34–35
8. डायसन, टी (1991) चाइल्ड लेबर एण्ड फर्टीलिटी : ए ओवरवियू, एन असेसमेन्ट, एण्ड एन अल्टरनेटिव फेमवर्क (81–100) लिया गया है कनवर्गी, आर0 चाइल्ड लेबर इन द इंडियन सब कॉनटीनेंट, डाइमेन्शनस एण्ड इंप्लीकेशनस न्यू दिल्ली
9. ग्रूटअर्ट, सी0 एवं0 कनबुर, आर0 (1995) चाइल्ड लेबर : एन इकॉनोमिक पर्सपोर्क्टव, इंटरनेशनल रिव्यू, 134, (2) 187–203
10. आई0ए ल0ओ0 (1996) चाइल्ड लेबर : टार्गेटिंग द इनटोलेरे बल रिपोर्ट आई0एल0ओ0 : जेनेवा
11. आई0 एल0 ओ0 वर्ड लेबर रिपोर्ट (1992) जेनेवा
12. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (2006), 'कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए नीति और कार्यक्रम और राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए पुस्तिका' केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मुद्रित, नागपुर, पृष्ठ संख्या।
13. आई.एल.ओ (2013), 'मार्किंग प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर : ग्लोबल एस्टीमेट एण्ड ट्रैंडस' (2000–2012)

14. आई.ए ल.ओ. (2015), 'मेजरिंग चिल्ड्रेन्स वर्क इन साउथ एशिया; परसपेक्टिव फ्रॉम नेशनल हाउसहोल्ड सर्वेज; 2015
15. नेशनल सेम्पल सर्वे (2011–12), 'एम्प्लोयमेन्ट अनएम्पलोयमेन्ट सर्वे' राउन्ड 68
16. यूनीसेफ (2014), 'आल चिल्ड्रेन इन स्कूल बाई 2015 : ग्लोबल इनजीसिएटिव ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन' साउथ एशिया रीजनल स्टडी।
17. बुररा नीरा (2005), 'क्रूसेडिंग फॉर चिल्ड्रेन इन इंडियाज इन फॉरमल इकॉनॉमी', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलीटिकल वीकली, खण्ड–4, संख्या 49 (दिसम्बर 3.9.2005) पृष्ठ संख्या 5199–5208
18. आई0ए ल0ओ0/यूनीसेफ (1997) : स्ट्रेटेजीज फॉर एलीमिनेटिंग चाइल्ड लेवर : प्रीवेन्शन, रिमोवल एण्ड रिहेबिलिटेशन (सिंथेसिस डाक्यूमेन्ट), इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेसं ऑन चाइल्ड लेबर, ऑस्लो, नार्वे, अक्टूबर।
19. लिटन, जी0के0 (2002), 'चाइल्ड लेबर इन इंडिया, डिसेनटेंगालिंग एसेंस एण्ड सोल्युशन', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खण्ड 37, संख्या 52, दिसम्बर 28 पृष्ठ संख्या 5191
20. जमो के0एस0 (1992) चाइल्ड लेबर इन मलेशिया, क्वालालमपुर; वर्लिन प्रेस।
21. कनवर्गी, आर0 एवं कुलकर्णी, पी0ए म0 (1991), चाइल्ड वर्क, स्कूलिंग एण्ड फर्टीलिटी इन रूरल कर्नाटक, इंडिया, सेज पब्लिकेशन।
22. कानन, के0पी (2001), इकॉनॉमिक्स ऑफ चाइल्ड लेबर, न्यू दिल्ली : डीप एण्ड डीप
23. कुलश्रेष्ठ, पी0के0 (1992), द इफेक्ट ऑफ स्कूल इनवॉयरॉनमेन्ट ऑन एडजस्टमेन्ट, स्टडी हेण्ट्स एण्ड एचीवमेन्ट ऑफ हाईस्कूल स्टूडेन्ट, पी0एच0डी0 एजुकेशन, आगरा विश्वविद्यालय, फिफथ सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च (1958–92)एबस्ट्रेक्ट संख्या 2 नई दिल्ली : एन0सी0ई0आर0टी0
24. लिटन, जी0के0 (2002), पॉवर्टी ऑफ नंबर एण्ड नेगलेक्ट ऑफ पॉवर्टी, पेपर प्रीजेन्टेड एड थर्ड इंटरनेशनल कॉनफेरेन्स ऑफ द एसोसिए शन ऑफ लेबर हिस्टोरियन्स, मार्च 14–16, 2002, वी0वी0 गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली।
25. लॉयड, सी0बी0 (1993), फर्टीलिटी, फेमिली साइज सण्ड स्ट्रक्चर कॉनसीक्यूए ंसिज फॉर फेमिली एण्ड चिल्ड्रेन, प्रोसीडिंग ऑफ व पोपुलेशन काउंसिंल सेमिनार, न्यूर्याक 9–10 जून, 1992 द पोपुलेशन काउंसिल, न्यूयार्क।
26. लॉयड सी0बी0 (1994), इंवेस्टींग इन द नेक्सट जनरेशन : द इंप्लीकेशन ऑफ हाई फर्टीलिटी एण्ड द लेवर ऑफ द फेमिली रिसर्च डिविजन वर्किंग पेपर नं0 63. न्यूयार्क पोपुलेशन कांउसिल, न्यूयार्क।
27. ननार्गया, पी0 (1987), चाइल्ड लेबर : कॉज – इफेक्ट सिंक्षेम, नई दिल्ली : जनक पब्लिसर्स,
28. पाटिल, बी0आर0 (1988), वर्किंग चिल्ड्रेन इन अर्बन इंडिया, बंगलौर : डी0बी0 पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड।
29. पेट्रीनोस, एच0ए0 एवं पसेचेरोपोलस, जी0 (1995), एजुकेशनल पर्फोमेन्स एण्ड चाइल्ड लेबर इन पेराग्वे, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेन्ट, 15 (1), 47–60
30. राजचन्द्रन, एन0 एवं मासुन, एल0 (2002), कमिंग टू ग्रिप विद रूरल चाइल्ड वर्क, ए फूड सिक्योरिटी अप्रोच, नई दिल्ली : इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेन्ट
31. राव, डी0बी0 (1996), ए ंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजूकेशन फॉर ऑल (संख्या – 1–5), नई दिल्ली, इंडिया : डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस।
32. रिवेरा, बाटिज, एफ0एल0 (1985), चाइल्ड लेबर पैटर्नस एण्ड लेजिसलेशन इन रिलेशन टू फर्टोलिटी, डिपार्टमेन्ट ऑफ इकॉनॉमिक्स, इंडियाना यूनिवर्सिटी, बलूमिंगटन, शिरूर, पी0ए व0 शिखर, एस0 (2008), एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एण्ड एन0जी0ओ, नई दिल्ली, शिल्पा पब्लिकेशनस।
33. श्रीनिवास, एस0 (1993) फेमिली साइज, स्ट्रक्चर एण्ड चिल्ड्रेनस एजुकेशन; इथनिक डिफरेन्शियल ऑवर टाइम इन पेनीनसुअर मलेरिया, लिया गया है लोयड सी0बी0 (एजु0) फर्टीलिटी, फेमिली साइज एण्ड स्ट्रक्चर कॉनसिक्यूए ंसेज फॉर फेमिलीज एण्ड चिल्ड्रेन, प्रोसीडिंगस ऑफ ए पीपुलेशन कांउसिल सेमिनार, न्यूयार्क, 9–10 जून, 1992, द पोपुलेशन काउंसिल, न्यूयार्क।